सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 16, शुक्रवार, *शाके* 1942–फरवरी 5, 2021 *Magha 16, Friday, Saka 1942- February 5, 2021*	

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज विभाग)

अधिसूचना

जयपुर, **फरवरी** 05, 2021

संख्या एफ.15(25)पंरावि/विधि/नगरपालिका गठन/2020/111:- स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)()डीएलबी/20/1006 जयपुर दिनांक 13.08.2020 के द्वारा चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका उच्चैन का गठन किया गया है । जिनमें ग्राम पंचायतों के सम्पूर्ण क्षेत्र एवं आंशिक भाग को सम्मिलित किया गया है । अत: जिन ग्राम पंचायतों के आंशिक भाग को नगर पालिका की सीमा में सम्मिलित किया गया है, उन ग्राम पंचायतो के शेष भाग को नई ग्राम पंचायत बनाये अथवा उस भाग को किसी अन्य ग्राम पंचायत में सम्मिलित करने के लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा-9 एवं 101 में वर्णित शक्तियों को राज्य सरकार द्वारा जिला कलक्टर, भरतपुर को प्रस्ताव तैयार करने, सार्वजनिक अवलोकन के लिए प्रसारित करने, एक माह की अवधि में आपत्तियां आमन्त्रण करने एवं उन पर सुनवाई करने के पश्चात् तैयार किये गये प्रस्तावों को राज्य सरकार से अनुमोदन करवाये जाने के लिए अधिकृत किया जाता है ।

आज्ञा से,

मंजू राजपाल

शासन सचिव एवं आयुक्त

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।